न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3564–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–05–2014 एवं 30–09–2014 पारित द्वारा अपर तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 67/अ–6–अ/2011–12

.....

श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नि स्व0श्री महेश गुप्ता
निवासी मकान नं. 18, गली नं. 3, चॉदबड,
भोपाल म0प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

1–श्रीमती साधना अग्रवाल पत्नि श्री महेश कुमार अग्रवाल
दोनों निवासी 16/103 शीतला गली, आगरा म0प्र0
2–श्रीमती वैकुण्ठी देवी अग्रवाल पत्नि श्री ओमप्रकाश अग्रवाल
3–अपर तहसीलदार
तहसील हुजूर जिला भोपाल पुराना सचिवालय भोपाल

..... अनावेदकगण

– – –

श्री सैयद खालिद, अभिभाषक, आवेदक

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/5/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–05–2014 एवं 30–09–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 115 व 116 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मृतक महेश कुमार गुप्ता के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम सूखी सेवनिया तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित सर्वे कमांक 17/15 रकबा 4 एकड़ में से रकबा 1 एकड़ है एवं आवेदिका के आधिपत्य एवं स्वत्व, स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 17/1 कुल रकबा 4 एकड़ है । आवेदिका स्व0महेश कुमार कुमार गुप्ता की पत्नी है । बंदोबस्त के दौरान उनके भूमिस्वमी स्वत्व की भूमि के नये सर्वे नम्बर निर्मित किये गये एवं नवीन सर्वे नम्बर 119, 120, 123 व 124 का त्रुटिपूर्ण बंटाकन कर दिया गया हैं, अतः उक्त त्रुटिपूर्ण बटांकन विलोपित किये जाकर उभयपक्ष की पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर कय की गई भूमियों का भौतिक स्थिति के अनुसार बटांन किया जाये । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 67/अ–6–अ/2011–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अहस्तान्तरणीय दर्ज करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–5–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर यह उल्लेख किया गया कि आवेदक के अभिभाषक को प्रश्नाधीन भूमि अहस्तान्तरणीय दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है, तत्पश्चात् आवेदिका द्वारा उपरोक्त आदेशिका को निरस्त करने हेतु संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–9–2014 को आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करते हुये आदेश दिनांक 28–5–2014 का पालन नहीं होने के कारण हल्का पटवारी को सूचना पत्र जारी करने के निर्देश देते हुये आदेश दिनांक 28–5–2014 के आदेश का पालन करने का आदेश दिया गया । अपर तहसीलदार के इन्हीं दोनों आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) दिनांक 28–5–14 को आवेदिका अथवा उनके अभिभाषक की ओर से प्रश्नाधीन भूमि खसरे में अहस्तान्तरणीय दर्ज करने संबंधी कोई भी सहमति नहीं दी गई है,

बल्कि उनकी अनुपस्थिति में अपर तहसीलदार द्वारा यह उल्लेख कर दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि अहस्तान्तरणीय दर्ज करने में आवेदिका के अभिभाषक को कोई आपत्ति नहीं है ।

(2) दिनांक 28–5–14 को अनावेदकगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में आगामी तिथि दिनांक 6–6–14 नोट कर आवेदिका अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे, परन्तु बाद में नायब तहसीलदार द्वारा मनमाने तरीके से आदेशिका लिखी गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) नायब तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अविवेकपूर्ण मनमाने तरीके से आदेशिका लिखी गई है क्योंकि आवेदिका अपनी भूमि के संबंध में अहस्तान्तरणीय प्रविष्टी नहीं करा सकते हैं ।

(4) नायब तहसीलदार को प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि उनके द्वारा अहस्तान्तरणीय शब्द दर्ज करने से प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व प्रभावित होते हैं । उनके द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आदेशिका दिनांक 28–5–2014 में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि अहस्तान्तरणीय दर्ज करने में आवेदिका के अभिभाषक को कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु सहमति स्वरूप कोई प्रमाण तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न नहीं है, इसके विपरीत आवेदिका द्वारा कहा जा रहा है कि प्रश्नाधीन भूमि अहस्तान्तरणीय दर्ज करने में उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गई है, अतः इस प्रकरण में न्यायिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि प्रश्नाधीन भूमि

अहस्तान्तरणीय दर्ज करने के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुनकर विधिवत् निर्णय लेकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–05–2014 एवं 30–09–2014 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर